SYLLABUS

Class – B.A. (HONS.) MASS COMMUNICATION

I Year (Paper 01)

Subject – हिन्दी

इकाई–1	व्याख्यानमाला और वर्तनी का उद्भव एवं विकास। हिन्दी की विकास यात्रा।
इकाई–2	व्याकरणः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण और काल,
इकाई–3	शब्द एवं शब्द भण्डार समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द
इकाई–4	वाक्य रचना, अनुच्छेद, गद्य–पद्य, नाटक, लेखन के विभिन्न रूपों में वाक्य रचना एवं उनका महत्व।
इकाई–5	हिन्दी में प्रभावी लेखन की विशेषताएँ, निबंध लेखन, पत्र लेखन एवं आवेदन लेखन, संक्षिप्त लेखन

renaissance
renaissance
renaissance

इकाई–1

व्याख्यानमाला

व्याख्यान शब्द से तात्पर्य किसी गूढ़ विषय की व्याख्या करना है। यह किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा की जाती है। व्याख्या लिखित अथवा मौखिक दोनों रूप से की जा सकती है। ग्रंथ व्याख्या का ही लिखित उदाहरण है। मौखिक रूप से व्याख्या करना एवं इसका श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम व्याख्यानमाला कहा जा सकता है।

वर्तनी का उद्‌भव एवं विकास

कसी शब्द को लखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। अँग्रेजी में वर्तनी को 'Spelling' तथा उर्दू में 'हिज्जे' कहते हैं। कसी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने हेतु वर्तनी की एकरुपता स्था पत की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अ धक शक्ति होगी , उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ होगी। अतः वर्तनी का सीधा सम्बन्ध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है।

त्रुटि संशोधन / अशुद्धियाँ –

भाषा हमारे सामाजिक व्यवहार का माध्यम है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों, हाव–भावों, आदि को अभिव्यक्त करते हैं किन्तु यह आवश्यक है कि जो भी व्यवहार भाषा के माध्यम से किया जाए वह सर्वमान्य व व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। भाषा में पायी जाने वाली गलतियों अथवा त्रुटियों को हम अ द्धि कहते हैं और इसे सुधारना त्रुटि संशोधन या अशुद्धि संशोधन कहलाता है।

अशुद्धियों को प्रमुखतः पाँच भागों में बाँटा गया है –

1. उच्चारण एवं वर्तनीगत अ द्धियाँ
2. शब्दगत अ द्धियाँ
3. शब्दार्थगत अ द्धियाँ
4. वाक्यगत अ द्धियाँ
5. व्याकरणगत अशुद्धियाँ

1. **उच्चारण एवं वर्तनीगत अशुद्धियाँ** – भाषा का व्यवहार या प्रयोग मुख्यतः दो प्रकार से होता है – मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति में। मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध उच्चारण यानि बोलने से है, व लिखित अभिव्यक्ति का संबंध मात्रा अथवा वर्तनी से है।

हिन्दी में उच्चारण का विशेष महत्व है क्योंकि यह जैसे बोली जाती है, वैसे ही लिखी जाती है। अशुद्ध उच्चारण होने से भाषा अशुद्ध लिखी जाती है।

उच्चारण एवं वर्तनीगत अशुद्धियों के उदाहरण –

अशुद्ध	**शुद्ध**
कवी	कवि
व्यक्ती	व्यक्ति
पुर्ण	पूर्ण
अत्याधिक	अत्यधिक
आयू	आयु
गुन	गुण

पूज्यनीय	पूजनीय / पूज्य
बारात	बरात
चहिये	चाहिए
तलाब	तालाब
अशुद्ध	**शुद्ध**
कढाई	कढ़ाई

सांय	सायं
फन(साँप का)	फ़न(कला)
गज(हाथी)	ग़ज(एक नाम)
जाग्रत	जागृत
कवियत्री	कवयित्री
गुणवान नारी	गुणवती नारी
आयी	आई

renaissance

कहां	कहाँ
बृज	ब्रज
अशुद्ध	**शुद्ध**
तैय्यार	तैयार

महत्व	महत्त्व
निरोग	नीरोग
रितु	ऋतु
प्रथक	पृथक
विषेश	विशेष

हथोड़ा	हथौड़ा
सौलह	सोलह
गौर(गौरा)	ग़ौर (ध्यान)
खुदा (खोदना)	ख़ुदा (ई वर)

2. **शब्दगत अशुद्धियाँ** – शब्दों के व्यवहार में अनावश्यक प्रत्यय लगाने के कारण इस प्रकार की अशुद्धियाँ भाषा का सौन्दर्य नष्ट कर देती हैं ।

अशुद्ध	शुद्ध
सौजन्यता	सौजन्य
सावधनता	सावधानी

हैरानता	हैरानी
गौरवता	गौरवता
सौदर्यता	सुन्दरता

3. **शब्दार्थगत अशुद्धियाँ–** कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, जो प्रचलित है किन्तु अशुद्ध है जैसे –

वह **आटा** पिसवाने गया।	गेहूँ
दही जमा दो	दूध
मोहन गीत की **लड़ियाँ** गुनगुना रहा था।	कड़ियाँ
आपको **बेशुमार** परेशानी हुई।	बेहद
शीघ्र **युद्ध** चलने की संभावना है।	छिड़ने
राजीव **गत** वर्ष रूस जाएगा।	आगामी
बेफिजूल बात मत करो।	फिजूल
उसने **अनेकों** बातें बतलायीं।	अनेक
मालिन ने माला **गूँध** ली।	गूँथ
माँ ने आटा **गूँथा**	गूँधा
हत्यारे को **मृत्युदण्ड की सजा मिली**	मृत्युदण्ड मिला

4. **वाक्यगत अशुद्धियाँ–** व्याकरण संबंधी अ ुद्धि होने पर वाक्यगत अ ुद्धि होती है । कारक, वचन, लिंग, विशेषण आदि की अशुद्धि इसके अन्तर्गत आती है।

कारक संबंधी अशुद्धियाँ –

अशुद्ध	**शुद्ध**
मैने खाना है।	मुझे खाना है।
मेरे को पुस्तक दो	मुझे पुस्तक दो।
शरीर पर कई अंग होते हैं।	शरीर के कई अंग होते है।
बच्चों से गुस्सा न करो	बच्चों पर गुस्सा न करो

विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ –

अशुद्ध	**शुद्ध**
रावण का दुराचरण खराब था।	रावण का आचरण खराब था।
मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ।	मैं सप्रमाण कहती हूँ।
कृपया दो दिनों का अवकाश देने की कृपा करे।	कृपया दो दिन का अवकाश दें/दो दिन का अवकाश देने की कृपा करें।
मात्र केवल छात्रों के लिए है।	केवल छात्रों के लिए है / मात्र छात्रों के लिए है।

लिंग संबंधी अशुद्धियाँ –

अशुद्ध	**शुद्ध**
पानी बरस रही थी।	पानी बरस रहा था।
कमलेश ने दिल्ली दिखाया।	कमलेश ने दिल्ली दिखाई।
आदरणीय माताजी को दीजिए।	आदरणीया माताजी को दीजिए।
सरोजनी विद्वान स्त्री है।	सरोजनी विदुषी स्त्री है।

वचन संबंधी अशुद्धियाँ –

अशुद्ध	**शुद्ध**
उसे कितना आम चाहिए।	उसे कितने आम चाहिए।
वह अनेकों भाषाएँ जानता है।	वह अनेक भाषाएँ जानता है।
वृक्षों पर कोयल बोल रही है।	वृक्ष पर कोयल बोल रही है।
उसके अंग–अंग सजाये गये।	उसका अंग–अंग सजाया गया।

व्याकरणगत अशुद्धियाँ –

अशुद्ध	**शुद्ध**
उसकी तो तकदीर **टूट** गयी।	उसकी तो तकदीर **फूट** गयी।
उसके सारे इरादों पर **पानी बह गयी।**	उसके सारे इरादों पर **पानी फिर** गया।
रोगी की **दिशा** ठीक नही।	रोगी की **दशा** ठीक नही।
तमाम देशभर में बात फैल गयी।	**देशभर** में बात फैल गयी।
बकरी को काटकर गाजर खिलाओ।	बकरी को **गाजर** काटकर खिलाओ
मुझे पचास **रूपया** चाहिए।	मुझे पचास **रूपये** चाहिए।

renaissance

हिन्दी की विकास यात्रा –

हिन्दी" वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है ,जिसका अर्थ है-हिन्दी का या हिंद से सम्बन्धित। हिन्दी शब्द की निष्पत्ति सन्धु - संध से हुई है क्यों क ईरानी भाषा में "स" को "ह" बोला जाता है। इस प्रकार हिन्दी शब्द वास्तव में सन्धु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंद शब्द सम्पूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा । इसी "हिंद" से हिन्दी शब्द बना।

आज हम जिस भाषा को हिन्दी के रूप में जानते है ,वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है ,जो साहित्य की परिनिष्ठित भाषा थी। वैदिक भाषा में वेद,संहिता एवं उपनिषदों – वेदांत का सृजन हुआ है। वैदिक भाषा के साथ-साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी,जिसे लौ कक संस्कृत भी कहा जाता है। संस्कृत का वकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिककालीन भाषाओं से माना जाता है। अनुमानतः ८ वी.शताब्दी ई.पू.में इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा था। संस्कृत भाषा में ही रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रन्थ रचे गये। वाल्मी क ,व्यास,का लदास,अश्वघोष,भारवी,माघ,भवभूति, वशाख,मम्मट,दंडी तथा श्रीहर्ष आदि संस्कृत की महान वभूतियाँ है। इसका साहित्य वश्व के समृद्ध साहित्य में से एक है।

संस्कृतकालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते-होते ५०० ई.पू.के बाद तक काफ़ी बदल गई,जिसे "पा ल" कहा गया। महात्मा बुद्ध के समय में पा ल लोक भाषा थी और उन्होंने पा ल के द्वारा ही अपने उपदेशों का प्रचार-प्रसार कया। संभवतः यह भाषा ईसा की प्रथम ईसवी तक रही। पहली ईसवी तक आते-आते पा ल भाषा और परिवर्तित हुई ,तब इसे "प्राकृत" की संज्ञा दी गई। इसका काल पहली ई.से ५०० ई.तक है। पा ल की वभाषाओं के रूप में प्राकृत भाषायें- पश्चिमी ,पूर्वी ,पश्चिमोत्तरी तथा मध्य देशी ,अब साहित्यिक भाषाओं के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी ,जिन्हें मागधी,शौरसेनी,महाराष्ट्री,पैशाची,ब्राचड तथा अर्धमागधी भी कहा जा सकता है।

आगे चलकर,प्राकृत भाषाओं के क्षेत्रीय रूपों से अपभ्रंश भाषायें प्रतिष्ठित हुई। इनका समय ५०० ई.से १००० ई.तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्यतः दो रूप मलते है – पश्चिमी और पूर्वी । अनुमानतः १००० ई.के आसपास अपभ्रंश के व भन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश से ही हिन्दी भाषा का जन्म हुआ। आधुनिक आर्य भाषाओं में ,जिनमे हिन्दी भी है, का जन्म १००० ई.के आसपास ही हुआ था, कंतु उसमे साहित्य रचना का कार्य ११५० या इसके बाद प्रारम्भ हुआ। अनुमानतः तेरहवीं शताब्दी में हिन्दी भाषा में साहित्य रचना का कार्य प्रारम्भ हुआ ,यही कारण है क हजारी प्रसाद द् ववेदी जी हिन्दी को ग्राम्य अपभ्रंशों का रूप मानते है। आधुनिक आर्यभाषाओं का जन्म अपभ्रंशों के व भन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है –

अपभ्रंश ……………………………………………आधुनिक आर्य भाषा तथा उपभाषा
पैशाची …………………………………………….लहंदा ,पंजाबी

ब्राचड ……………………………………………. सन्धी

महाराष्ट्री …………………………………………..मराठी.

अर्धमागधी………………………………………पूर्वी हिन्दी.

मागधी ……………………………………………बिहारी ,बंगला,उ ड़या ,अस मया.

शौरसेनी …………………………………………..पश्चिमी हिन्दी,राजस्थानी ,पहाड़ी,गुजराती.

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क हिन्दी भाषा का उद्भव ,अपभ्रंश के अर्धमागधी ,शौरसेनी और मागधी रूपों से हुआ है.

renaissance renaissance renaissance

इकाई–2

व्याकरण : भाषा कौशल

भाषा मानवीय संबंधों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के अभाव में न तो विचारों का आदान–प्रदान संभव है, न ही भावना–अनुभूतियों को प्रकट किया जा सकता है। भाषा यद्यपि गतिशीलता प्रवृत्ति रखती है तथापि एक समाज के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें एक रूपता बनाए रखना भी आवश्यक होता है। यह कार्य भाषा पर व्याकरण का अंकुश लगाकर ही हो सकता है। व्याकरण के अन्तर्गत भाषा के जिस रूप में परिवर्तन आता है उसे विकारी शब्द कहते है तथा जिसमें परिवर्तन नहीं आता उसे अविक्कारी शब्द कहते है।

विकारी शब्द

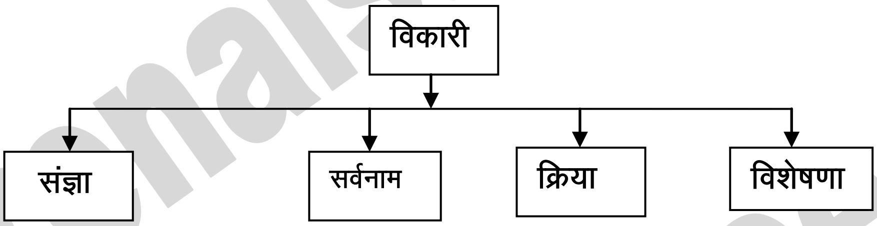

संज्ञा

किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव आदि को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं।

संज्ञा के पाँच भेद हैः–

1. **व्यक्तिवाचक संज्ञा Proper Noun)** जिस शब्द के किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। जैसे – गंगा, दिल्ली, रामचरितमानस, होली कृष्ण आदि।
2. **जातिवाचक संज्ञा (common Noun)-** जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थो व उसके समूहों का बोध हो। जैसे पर्वत, नदी घर, सभा आदि।
3. **भाववाचक संज्ञा (Anstract Noun)-** जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा अथवा व्यापार का बोध हो। जैसे–मिठास, नम्रता, सुंदरता, प्रेम आदि।
4. **समुदायवाचक संज्ञा (collevtive Noun)-** जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो। जैसे–सभा, दल, मंडल, गुच्छा आदि।

विशेषण

जिस शब्द सें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता (रूप, रंग, गुण–दोष संख्या नाप–तोल) बताई जाए वह विशेषण कहलाता है। जैसेः रेस में सफेद घोड़ा प्रथम आएगा।

विशेषण के भेद–

1. **गुणवाचक विशेषण (Adjective of Quality)-** जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा स्वभाव आदि लक्षित होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे छोटा, गर्वीला, दुबला काला आदि।
2. संख्यावाचक विशेषण **(Numerical (Adjective)-** जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम संख्या संबंधी विशेषण का बोध कराते हैं, 'संख्यावाचक विशेषण' कहलाते हैं। जैसेः दस संतरे आठ आम, सात कापियाँ और बारह सेब आदि।
3. **परिमाणवाचक विशेषण (Adjective of Quality)-** जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप–तोल (मात्रा) का बोध होता है, वे 'परिमाणवाचक विशेषण' कहलाते हैं।
4. **सर्वनामिक विशेषण (Demonstrative Adjective) अथवा संकेतवाचक विशेषण–** जब किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण अथवा विशेषता का कथन होता है और इसमें विशेषण की किसी प्रकार की तुलना नहीं होत है, उसे 'मूलावस्था' कहा जाता है। जैसेः प्राची सुंदर युवती है। धरती विशाल है।

अविकारी शब्द

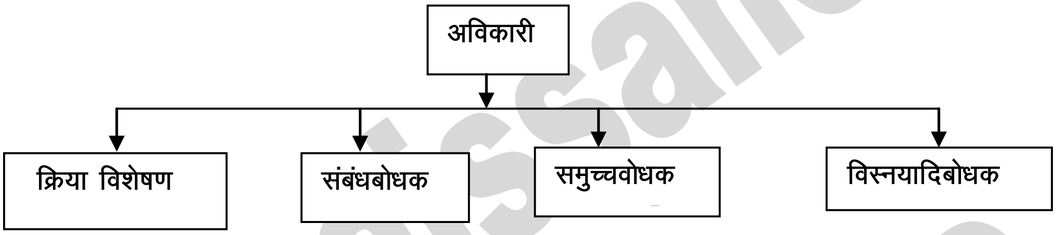

क्रिया विशेषण–

जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता मानी जाती है, उसे क्रिया–विशेषण कहते हैं, जैसे–धीरे–धीरे, इतना, जितना यहाँ–वहाँ, कब–किधर आदि।

क्रिया विशेषण के भेद–

1. **परिणामवाचक –** बहुत, अति, थोडा, किंचित, केवल, यथेष्ट, इतना आदि। जैसे– यहाँ पर केवल चार बच्चे है।
2. **रीतिवाचक–** ऐसे, वैसे, कैसे, सही, नहीं, थोड़ा, बहुत, कम, तेज आदि। जैसे– घोड़ा ते दौड़ता है।
3. **स्थानवाचक–** भीतर, ऊपर, कहाँ, यहाँ, नीचे आदि। जैसे – तुम यहाँ बैठो।
4. **कालवाचक–** क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया–विशेषण कहते है, जैसे कल, जब, प्रतिदिन आदि। जैसे– राम प्रतिदिन स्नान करता हैं।
5. **द्रव्यवाचक संज्ञा (Material Noun)–** जिस संज्ञा से नाप–तौल वाली वस्तु का बोध हो। जैसे सोना, चाँदी, पीतल, दूध, पानी, तेल आदि।

सर्वनाम

जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उनहें सर्वनाम कहते है। सर्वनाम शब्दों के योग से बना है– सर्व + नाम। सर्व का अर्थ – सबका' अर्थात् जो शब्द सबके नाम पर प्रयोग किये जाते है उन्हें 'सर्वनाम' कहते है। ये बारह होते है। जैसे – मै, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ कौन, क्या।

सर्वनाम के छः भेद हैः–

1. **पुरुषवाचक सर्वनाम (Personal pronoun)-** जो सर्वनाम वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उन्हें 'पुरूषवाचक सर्वनाम' कहते हैं। जैसे – मैं, हम, तू, वह, वे आदि।
2. **निश्चयवाचक सर्वनाम (Demonstrative Pronubn)-** किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को 'निश्चयवाचक सर्वनाम' कहते हैं। जैसे 1. वह मेरी घड़ी है। 2. यह प्राची का घर है। इन वाक्यों में 'वह' तथा यह शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति का ओर निश्चयपूर्वक संकेत कर रहे है, अतः ये 'निश्चयवाचक सर्वनाम' है।
3. **अनिश्चयवाचक सर्वनाम (Indefinite Pronoun)-** जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चत वस्तु प्राणी का बोध नहीं होता, उनहें 'अनिश्चयवाचक सर्वनाम' कहते हैं। जैसेः कमरे में कोई है। 2. तुम खुद आराम कर लो। इन वाक्यों में 'कोई' तथा 'कुछ' सर्वनाम शब्दों ने किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा हैं, अतः ये 'अनिश्चियवाचक सर्वनाम' है।
4. **संबंधवाचक सर्वनाम (Relative Pronou)-** जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं, उन्हें 'संबधवाचक सर्वनाम' कहते है। जैसे – 1. जैसा चाहा वैसा पाया। 2. जहाँ चाह वहाँ राह इन वाक्यों में 'जैसा' तथा 'जहाँ'' सर्वनाम वाक्यों में दो सर्वनाम के मध्य संबंध प्रकट कर रहे है। अतः ये 'संबंधवाचक सर्वनाम' हैं।
5. **प्रश्नवाचक सर्वनाम (Interrogative Noun)-** जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे 'प्रश्नवाचक सर्वनाम' कहलाते हैं। जैसे– 1. तुम कहाँ काम करते हो? 2. कल कौन आ रहे हैं?
6. **निजवाचक सर्वनाम (Reflexive Pronoun)-** जो सर्वनाम कर्त्ता के लिए प्रयुक्त हों, वे 'निजवाचक सर्वनाम' कहलाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः 'स्वयं' तथा 'अपने आप' शब्द कर्ता के साथ निजत्व बताते है। अतः ये 'निजवाचक सर्वनाम' हैं।

क्रिया

जिस शब्द या पद से किसी कार्य का होना। अथवा होना पाया जाए, वह क्रिया कहलाता है। जैसेः खाना, पीना, दौडना, भागना, उठना, चलना, फिरना आदि।

क्रिया दो प्रकार की होती हैः–

1. **सकर्मक क्रिया (Transitive Verb)-** जिस क्रिया के व्यापार (कार्य) का फल कर्त्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वह 'सकर्मक क्रिया' कहलाती है।
2. **अकर्मक क्रिया (Interansitive Verb)-** जिस क्रिया के व्यापार (कार्य) और फल दोनों कर्त्ता में ही रहें, उसे 'अकर्मक क्रिया' कहते है। इस क्रिया में कर्म नहीं होता है।

संबंधबोधक

जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध वाचक कहते हैं। जैसे पास, तक, बिना, पहले, अनुसार आदि। जैसे – मैं माँ के बिना जी नहीं सकता।

संबंधबोधक के भेद –

1. **काल वाचक** – पहले, बाद, आगे, पीछे
2. **स्थान वाचक** – बाहर, भीतर, बीच, ऊपर, नीचे
3. **दिशा वाचक** – निकट, पास, समीप, ओर, सामने
4. **साधन वाचक** – निमित्त, द्वारा, जरिये
5. **विरोध वाचक** – उलटे, विरुद्ध, प्रतिकूल
6. **समता वाचक** – अनुसार, सदृश्य, समान, तुल्य
7. **हेतु वाचक** – रहित, अथवा, सिवा, अतिरिक्त
8. **सहचर वाचक** – समेत, संग, साथ
9. **विषय वाचक** – विषय, बावत
10. **संग्रह वाचक** – समेत, भर, तक

समुच्चयबोधक

दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने व जोड़ने वाले शब्द को समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं, इन्हें योजक भी कहते हैं। जैसे – और, या, तथा, किन्तु, लेकिन, इसलिए, क्यों, परन्तु आदि।

समुच्चयबोधक अव्यय के प्रकार –

1. **संयोजक** – जो शब्द जोड़ने के अर्थ में आए उसे संयोजक कहते हैं जैसे और, एवं। जैसे – राम और श्याम गाना गा रहे हैं।
2. **विभाजक** – जो शब्द भेद (अन्तर) प्रकट करने के अर्थ में प्रयुक्त हो उसे विभाजक कहते हैं। जैसे– परन्तु, मगर, वरन्, बल्कि, क्योंकि अतः यद्यपि तथापि आदि। जैसे – मैं आता मगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था।
3. **विकल्पसूचक** – जो शब्द विकल्प का बोध कराए, उन्हें विकल्प सूचक कहते हैं। जैसे– या, अथवा, या–या, न कि। जैसे – तुम कचोरी खा लो या समोसा।

विस्मयादिबोधक

जिन अव्ययों से आश्चर्य, हर्ष, भय, तिरस्कार, शोक, दुःख, क्रोध, प्रार्थना, घृणा, कामना आदि भाव प्रकट हों, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते है। जैसे – हाय! अब मैं क्या करूँ?

विस्मयादिबोधक अव्यय के प्रकार

1. **विस्मयबोधक** – अरे! आप यहाँ?
2. **आश्चर्यबोधक** – अरे! मैं जीत गया।
3. **आनन्दबोधक** – वाह! मजा आ गया।
4. **तिरस्कार बोधक** – हट! तुम्हे क्या मालूम।
5. **विवशताबोधक** – हे राम! अब क्या होगा।
6. **दुःखबोधक** – हाय! ये क्या हो गया।
7. **घृणा बोधक** – छिः–छिः! कितना गंदा है।
8. **स्वीकृति बोधक** – अच्छा! तो यह बात थी।
9. **संबोधन बोधक** – रमेश! इधर आओ।
10. **आशीर्वाद बोधक** – शाबाश! ऐसे ही आगे बढ़ो।
11. **प्रार्थना बोधक** – हे ईश्वर! मुझे सद्बुद्धि दो

इकाई–3

शब्द

एक या एक से अ धक <u>वर्णो</u> से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे (नहीं) न -एक वर्ण से नि र्मत शब्द -कुत्ता-अनेक वर्णों से नि र्मत शब्द (और) वए शेरए कमलए नयनए प्रासादए सर्वव्यापीए परमात्मा आदि

हिन्दी की शब्द संपदा– (पर्यायवाची, अनेकार्थी, शब्दयुग्म, विलोम)

<u>समानार्थी या पर्यायवाची शब्द</u>

हिन्दी की शब्दावली में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका वाच्यार्थ कोई एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु आदि होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है।

आकाश	अंबर, गगन, नभ, व्योग, अनंत, आसमान, शून्य, आंतरिक्ष।
अग्नि	आग, पावक, ज्वाला, हुताशन, वाह्नि, अनल।
अंधकार	अंधेरा, तम, तिमिर।
अन्य	भिन्न, पृथक और दूसरा।
आनंद	प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, खुशी।
आज्ञा	आदेश, निर्देश, हुक्म।
इच्छा	अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, मनोरथ, ख्वाहिश
अंहकार	घमण्ड, अभिमान, दंभ, दर्प, गर्व।
आँख	दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन, विलोचन, अक्षि।
इन्द्र	महेन्द्र, देवराज, सुरेन्द्र, सुरपति, सुरेश।
ईश्वर	परमेश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा, ईश।
इन्द्रपुरी	देवलोक, देवपुरी, अमरावती, अलकापुरी, स्वर्ग।
उत्साह	उमंग, जोश, आवेग।
उन्नति	अभ्युदय, उत्थान, विकास, प्रगति, उत्कर्ष।
कान	कर्ण, श्रवण, त्रुतिपट, श्रवणोन्द्रिय।
किनारा	तट, तीर, कूल।
गहना	आभूषण, विभूषण, अंलकार, भूषण।
चाँदनी	ज्योत्सना, कौमुदी, चन्द्रिका।
तारा	नक्षत्र, तारक, नखत, तारिका उडु।
तालाब	सर, सरोवर, पुष्कर, तड़ाग, जलाशय।
जल	पानी, नीर, वारि, अंबू, सलिल, अमृत, जीवन, तोय, पेय।
नदी	सरिता, तरंगिणी, तपस्विनी, दरिया।
पहाड़	गिरि, पर्वत, भूधर, अचल, गिरीश्वर, नग शैल।
रात	रजनी, निशा, विभावरी, रात्रि, निशि।

समुद्र	जलधि, पयोधि, उदधि, सागर, अंबुधि, सिन्धु।
सर्प	साँप, नाग अहि, भुजंग, विषधर, पन्नग, ब्याल।
पत्थर	पाषाण, उपल, पाहन, प्रस्तर, अश्म।
पथिक	राहगीर, बटरोही, राही, बटाऊ, यात्री, मुसाफिर।
पवित्र	पावन पूत, रूचि, शुद्ध, पुण्य, निर्मल, अकलुष, निरकलुष।
प्रकाश	उजाला, ज्योति, चमक, द्युति, प्रभा, रोशनी।
मनुष्य	इंसान, नर, आदमी, मानव।
सूरज	दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, सविता, आदित्य, रवि, दिनेश, भास्कर।
रास्ता	बाट, डगर, मार्ग, पथ, मग, राह।

समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द (मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द अथवा समरूप) – वे शब्द जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं लेकिन जिनकी वर्तनी में सुक्ष्म अंतर परिलक्षित होता हैं तथा जो अर्थ भी भिन्न देते हैं –

अंश	भाग
अंस	कंधा
अनल	आग
अनिल	हवा
अपकार	बुरा करना
उपकार	भलाई
कक्षा	श्रेणी
कक्ष	कमरा
बात	बातचीत
वात	वायु
अली	भौंरा
अली	सखी

अनेकार्थी शब्द

भाषा की शब्दावली में वस्तुतः कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक वाक्यार्थ कोश में दिये होते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यथा

1. अक्षर – नष्ट न होन वाला, स्वर–व्यंजन वर्ण, हे ई वर
2. अर्थ – धन, आ ाय, व्याख्या
3. कर – हाथ, किरण, हाथी, की सूँड, टैक्स
4. कल – चैन, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, म ीन
5. काल – समय, मृत्यु

renaissance renaissance renaissance

6. गुरू – ि ाक्षक, भारी, वृहस्पति, बड़ा, श्रेश्ठ
7. पत्र – चिट्ठी, पत्ता, पंख
8. मधु – भाहद, भाराब, पुश्प का रस
9. वर – श्रेश्ठ, वरदान, दूल्हा

शब्द युग्म

सामान्य परिचय – हिन्दी भाषा में शब्दों के कुछ ऐसे जोड़े प्रचलित हैं जिनका प्रयोग साहित्यिक हिन्दी में ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक हिन्दी में किया जाता है। ये जोड़े समानार्थ शब्दों के भी होते हैं और विपरीत अर्थ वाले शब्दों के भी होते हैं। इन्हे शब्द–युग्म कहा जाता है। इनके प्रयोग से वाक्य में प्रखरता और विचारों में स्पष्टता आ जाती है। शैली भी अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली एवं प्रवाहमयी बन जाती है।

शब्द– युग्मों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं।

(क)एक साथ प्रयुक्त दो समानार्थी शब्द

आगे–आगे	बैठे–ठाले	गरमा–गरम	भाग–दौड़
	रोना–चिल्लाना	देवी–देवता	संगी–साथी

(ख) एक साथ प्रयुक्त दो भिन्नार्थी शब्द

अमीर–गरीब	जय–पराजय	मान–अपमान	अनुनय–विनय
गाली–गलौच	आगा–पीछा	राजा–रंक	चोर–चपाट
माँ–बाप	खाद्य–अखाद्य	आदान–प्रदान	धूम–धाम

(ग) सार्थक और निरर्थक शब्दों का एक साथ प्रयोग

आना–वाना	कुर्ता–उर्ता	मारना–वारना	धोती–ओती
हलुआ–वलुआ	चमक–वमक	मिठाई–विठाई	काम–वाम

;अनेकार्थी शब्दकी परिभाषा(

दूसरे शब्दों में - जिन शब्दों के एक से अ धक अर्थ होते हैं ए उन्हें श्अनेकार्थी शब्द श कहते है।

अनेकार्थी का अर्थ है दृ एक से अ धक अर्थ देने वाला।

अंबर- आकाशएअमृतए वस्त्र।

अनंत- आकाशए ईश्वरए वष्णुए अंतहीनए शेष नाग।

कनक- सोनाए धतूराए गेंहूँ।

गुरु- शक्षकए ग्रह वशेषए श्रेष्ठए बृहस्पतिए भारीए बड़ाए भार।

जलज- कमलए मोतीए शंखए मछलीए चन्द्रमाए सेवार।

पानी- जलए चमकए इज्जत ।

फल- लाभए मेवाए नतीजाए भाले की नोक।

renaissance
renaissance
renaissance

इकाई–4

वाक्य संरचना

भाषा की सबसे छोटी इकाई या अक्षर या वर्ण है, वर्णो के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति ही वाक्य बनाती है।

परिभाषा– जिस शब्द समूह से किसी विचार का भाव पूर्ण रूप से प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। 'राम ने रावण को मारा' यह वाक्य रचना पूर्ण अर्थ को प्रकट कर रही है।

वाक्य के घटक–

वाक्य को मुख्य रूप से दो घटकों में बांटा जा सकता है –

1.उद्‌देश्य, 2. विधेय

उद्‌देश्य में – कर्त्ता।

विधेय में–कर्म और क्रिया आती है।

रचना के आधार पर वाक्यों के मुख्य तीन भेद हैं –

1. सरल वाक्य (Simple Sentence)
2- मिश्र वाक्य (Complex Sentence)
3- संयुक्त वाक्य (Compound Sentence)

1. सरल वाक्य (Simple Sentence) 2. मिश्र वाक्य (Complex Sentence)

1. **सरल वाक्य (Simple Sentence)-** जिन वाक्यों में एक कर्त्ता होता है, एक कर्म और क्रिया होती है उसे सरल वाक्य या साधरण वाक्य कहते हैं।

   उदाहरण– राम ने खाना खाया।

   कर्त्ता + कर्म + क्रिया

2. **मिश्र वाक्य (Complex Sentence)** – जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य (प्रधान वाक्य) तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते है। आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों, जैसे यदि, तो, जब, जहां, वहां, यद्यपि, तथापि, लेकिन, मगर, जैसे शब्दों से जुड़े होते हैं।

   उदाहरण– जो छात्र परिश्रम करते हैं, वे अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं।

   1. जो गरजते है, वे बरसते नहीं।
   2. इस वर्ष वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती।
   3. यदि छुट्टियां हुई तो हम घूमने अवश्य जायेंगे।

3. **संयुक्त वाक्य (Compound Sentence)** जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक प्रधान वाक्य, तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये वाक्य तथा, किन्तु, परन्तु, यद्यपि, लेकिन, तथापि, इसलिए, मगर अतः आदि शब्दों से जुड़े होते है।

   उदाहरण– 1. मैं प्रतिदिन योग करता हूँ और घूमने जाता हूँ। 2. समय बहुत खराब है इसलिए संभलकर चलना चाहिए । 3. क्योंकि वह बीमार था इसलिए यात्रा नहीं कर सका ।

अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद –

1. विधि सूचक वाक्य 2. निषेध मूलक वाक्य 3. आज्ञा सूचक वाक्य 4. प्रश्न वाचक वाक्य 5. संदेह वाचक वाक्य 6. इच्छा वाचक वाक्य 7. संकेत वाचक वाक्य 8. विस्मय वाचक वाक्य।

1. विधि सूचक वाक्य– जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे विधिसूचक वाक्य करते हैं। विधि सूचक वाक्यों के अंत में 'चाहिए' क्रिया का प्रयोग भी किया जाता है।

उदाहरण– 1. हम खाना खा चुके। 2. मोहन ने पढ़ाई पूरी कर ली। 3. गांधी जी रोज प्रार्थना सभा में भाग लेते थे। 3. सूर्य प्रातः काल निकलता है। 4. हमे हमेशा सत्य बोलना चाहिए। 5. हमें काम पर समय से पहुँचना चाहिए।

2. निषेध मूलक वाक्य– जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध हो, तथा जिन्हें नहीं, न और मत के द्वारा नकारात्मक भाव से प्रकट किया जाता है उसे निषेधमूलक वाक्य कहते हैं।

उदाहरण– 1. आज हमारी गणित की कक्षा नहीं लगी। 2. मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता।
3. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 4. तुम उसे लेकर घर मत आना।
5. आज गाड़ियाँ नहीं चलेगी।

3. आज्ञा सूचक वाक्य– जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं।

उदाहरण– 1. आप चुप रहिये । 2. मेरी नजरों के सामने से चले जाओं। 3. आप यहाँ से जा सकते हैं।

4. प्रश्न वाचक वाक्य– जिन वाक्यों से प्रश्न किया जाए या कोई बात पूछी जाये उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।

उदाहरण– 1. क्या तुम मेरे साथ चलोगे? 2. तुम्हारा नाम क्या है? 3. कौन आया है?
4. आप क्या कर रहे हैं? 5. तुम पढ़ने कब जाओगे?

5. संदेह वाचक वाक्य– जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं।

उदाहरण– 1. शायद मैं कल कॉलेज नहीं जाऊँ । 2. संभवतः वह कल सुबह तक पहुँचेगा। 4. उसका इस वर्ष पास होना मुश्किल है ।

6. इच्छा वाचक वाक्य– जिन वाक्यों से किसी शुभकामना, अपनी मंशा या इच्छा व्यक्त हो उसे इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं ।

उदाहरण– 1. यशस्वी हो । 2. सदा सुखी रहो । 3. ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे ।
4. प्रभु तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे ।

7. संकेत वाचक वाक्य– जिन वाक्यों से संकेत या शर्त को बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।

उदाहरण– 1. यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त करोगे ।
2. यदि तुम कॉलेज चलो तो मैं भी चलू ।

8. विस्मय वाचक वाक्य– जिन वाक्यों से आश्चर्य का भाव, सुख या दुःख के रूप में प्रकट हो उसे विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं –

renaissance

उदाहरण– 1. ओह ! कितना सुंदर दृश्य है । 2. अरे ! तुम आ गए । 3. वाह ! क्या बात है । 4. वाह ! क्या नजारा है । 5. हे ! राम इस देश का ईश्वर ही मालिक है ।

अनुच्छेद

अनुच्छेद (पैराग्राफ कसी लेख या (निबंध का वह व शष्ट अंश है जिसमें कसी वषय से संबं धत कसी खास और प्रायः एक वचार भाव और सूचना का ववेचन कया जाता है। यदि अनुच्छेद कसी निबंध या अन्य वधा का हिस्सा हो तो वह अपने पूर्ववर्ती और परवर्ति अनुच्छेदों से संबद्ध होता है। वह एक सीमा तक अपने में पूर्ण भी होता है।

अनुच्छेद लेखन:अनुच्छेद लेखन गद्य की लघु वधा है। इसमें कसी वाक्य वचार,अनुभव या दृश्य को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना होता है। छोटे की लेखन अनुच्छेद हुई गति और वाक्य छोटे- है। वशेषता महत्वपूर्ण

अनुच्छेद लखते समय निम्न ल खत बातों को ध्यान रखना आवश्यक है।

1. दिए गए वषय को 10 से 12 वाक्यों या 100 से 200 शब्दों में व्यक्त करना होता है।
2. वाक्य छोटे तथा एक दुसरे से जुड़े होते हैं।
3. लेखन का आरम्भ सीधे वषय से होता है। कसी भू मका या परिचय की आवश्यकता नहीं होती है।
4. वचारों का प्रवाह स्पष्ट होना चाहिए।
5. उदाहरण का संकेत ही पर्याप्त होता है।
6. भाषा सरल, स्पष्ट तथा मुहावरेयुक्त होनी चाहिए।
7. वषय का वस्तार सीधे होना चाहिए। अनुच्छेद सीधा और ठोस होता है।
8. रोचकता बनाये रखना अनुच्छेद लेखन की वशेषता होती है।
9. अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए यानी वषय समझ में आ जाना चाहिए।
10. यदि अनुच्छेद लेखन के संकेत बिंदु दिए गए हैं तो उन्ही के आधार पर वषय का क्रम तैयार करना चाहिए।

renaissance

अनुच्छेद लेखन के उदहारण निम्न ल खत हैं।

- वन और हमारा पर्यावरण
- वृक्षारोपण का महत्व
- देश प्रेम
- समय का महत्त्व

गद्य पद्य

हिंदी गद्य की वधाओं को प्रमुखत मुख्य मुख्य और गौण दो भागों में वभाजित कया जा सकता है : नाटक . वधाएँ है, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, समालोचना गौण वधाओं में जीवनी ., आत्मकथा, यात्रावृत, रेखा चत्र, संस्मरण, पत्र वधा, साक्षात्कार इस हिंदी गद्य की वधाएँ प्रदान करती है.

संक्षेप में हिंदी गद्य की वधाएँ और इनका वकास व रूप निम्नानुसार–है

नाट्य एकांकी वधा

नाटक, एकांकी दोनों दृश्य वधा है जिसमे महाक व .संस्कृत में नाटकों की समृद्धशाली परम्परा रही है . का लदास, भवभूति उल्लेखनीय हैहिंदी नाटकों की परम्परा . भारतेंदुयुग से मानी जाती है भारतेंदु के . अंधेर नगरी, नीलदेवी, भारत दुर्दशा, प्रेम यो गनी, बालकृष्ण भ का वेणी संहार इस युग के प्रमुख नाटक है.

काव्य, क वता या पद्य, साहित्य की वह वधा है जिसमें कसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से कसी भाषा के द्वारा अ भव्यक्त कया जाता है। भारत में क वता का इतिहास और क वता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरतमुनि से समझा जा सकता है। क वता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या क व की कृति, जो छन्दों की शृंखलाओं में व धवत बांधी जाती है।
काव्य वह वाक्य रचना है जिससे चत्त कसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो। अर्थात् वह कला जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। रसगंगाधर में 'रमणीय' अर्थ के प्रतिपादक शब्द को 'काव्य' कहा है। 'अर्थ की रमणीयता' के अंतर्गत शब्द की रमणीयता (शब्दलंकार) भी समझकर लोग इस लक्षण को स्वीकार करते हैं। पर 'अर्थ' की 'रमणीयता' कई प्रकार की हो सकती है। इससे यह लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं है। साहित्य दर्पणाकार वश्वनाथ का लक्षण ही सबसे ठीक जँचता है। उसके अनुसार 'रसात्मक वाक्य ही काव्य है'। रस अर्थात् मनोवेगों का सुखद संचार की काव्य की आत्मा है।

काव्यप्रकाश में काव्य तीन प्रकार के कहे गए हैं , ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चत्र। ध्वनि वह है जिस , में शब्दों से निकले हुए अर्थ प्रधान हो। गुणीभूत ब्यंग्य वह है जिसमें (व्यंग्य) की अपेक्षा छिपा हुआ अ भप्राय (वाच्य) गौण हो। चत्र या अलंकार वह है जिसमें बिनाब्यंग्य के चमत्कार हो। इन तीनों को क्रमशः उत्तम , मध्यम और अधम भी कहते हैं। काव्यप्रकाशकार का जोर छिपे हुए भाव पर अ धक जान पड़ता है , रस के उद्रेक पर नहीं। काव्य के दो और भेद कए गए हैं , महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य सर्गबद्ध और उसका नायक कोई देवता, राजा या धीरोदात्त गुंण संपन्न क्षत्रिय होना चाहिए। उसमें शृंगार, वीर या शांत रसों में से कोई रस प्रधान होना चाहिए। बीच बीच में करुणा; हास्य इत्यादि और रस तथा और और लोगों के प्रसंग भी आने चाहिए। कम से कम आठ सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य में संध्या , सूर्य, चंद्र, रात्रि, प्रभात, मृगया, पर्वत, वन, ऋतु, सागर, संयोग, वप्रलम्भ, मुनि, पुर, यज्ञ, रणप्रयाण, ववाह आदि का यथास्थान सन्निवेश होना चाहिए। काव्य दो प्रकार का माना गया है, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य वह है जो अ भनय द्वारा दिखलाया जाय, जैसे, नाटक, प्रहसन, आदि जो पढ़ने और सुनेन योग्य हो, वह श्रव्य है। श्रव्य काव्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। पद्य काव्य के महाकाव्य और खंडकाव्य दो भेद कहे जा चुके हैं। गद्य काव्य के भी दो भेद कए गए हैं कथा और - आख्यायिका। चंपू, वरुद और कारंभक तीन प्रकार के काव्य और माने गए है।

नाटक, काव्य का एक रूप है। जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अ पतु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है उसे नाटक या दृश्य-काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अ धक रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अ धक घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। नाट्यशास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है।

नाटक रंगमंच से जुड़ी एक वधा हैए जिसे अ भनय करने वाले कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत कया जाता है। नाटक की परम्परा बहुत प्राचीन है। यह अपने जन्म से ही शब्द की कला के साथसाथ अ भनय की महत्त्वपूर्ण- कला भी रहा है। अ भनय रंगमंच पर कया जाता है। रंगमंच पर नाटक के प्रस्तुतीकरण के लए लेखक के शब्दों के अतिरिक्तए निर्देशकए अ भनेताए मंच व्यवस्थापक और दर्शक की भी आवश्यकता होती है। नाटक के- शब्दों के साथ जब इन सबका सहयोग घटित होता हैए तब नाट्यानुभूति या रंगानुभूति पैदा होती है।

नाटक के प्रमुख तत्व

- कथावस्तु

  नाटक की कथावस्तु पौरा णक, ऐतिहा सक, काल्पनिक या सामाजिक हो सकती है।

- पात्र

  पात्रों का सजीव और प्रभावशाली चरित्र ही नाटक की जान होता है। कथावस्तु के अनुरूप नायक धीरोदात्त, धीर ल लत, धीर शांत हो सकता है।

- रस

नाटक में नवरसों में से आठ का ही परिपाक होता है। शांत रस नाटक के लए नि षद्ध माना गया है। वीर या शृंगार में से कोई एक नाटक का प्रधान रस होता है।

- अ भनय

अ भनय भी नाटक का प्रमुख तत्व है। इसकी श्रेष्ठता पात्रों के वाक्चातुर्य और अ भनय कला पर निर्भर है। मुख्य प्रकार से अ भनय ४ प्रकार का होता हॅ।

- १ -आं गक अ भनय (शरीर से कया जाने वाला अ भनय),
- २ [संवाद का अ भनय) वा चक अ भनय -,
- ३ वेषभूषा) आहार्य अ भनय -, मेकअप, स्टेज वन्यास्, प्रकाश व्यवस्था आदि(,
- ४ अंतरात्मा से कया गया अ भनय ।) सात्विक अ भनय -

इकाई–5
निबंध लेखन की कला

निबंध के प्रकार

निबंध शब्द 'नि–बंध' से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक् रूप से बंधा हुआ। इस दृश्टि से निबंध की परिभाशा इस प्रकार दी जा सकती है कि ''किसी विशय पर आकर्शक सरस, सरल तथा सुव्यवस्थिति गद्य शैली में अपने भावों या विचारों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना निबंध है।'' इसमें नपे–तुले शब्दों में अधिक–से–अधिक बात कही जाती है।

विशय सामग्री और भाशा मणिकाँचन योग से उत्कृश्ठ निबंध लिखे जा सकते है। एक अच्छे और सुव्यवस्थित निबंध के लिए चार गुण अपेक्षित माने गए है :

1. विशय सामग्री की विशदता
2. विशयवस्तु का संयोजन
3. विशय के अनुकूल भाशा का प्रयोग
4. प्रभाव क्षमता

निबंध के अंग – निबंध में बात कहाँ से शुरू करें, क्या–क्या लिखें और अंत कैसे करे, इसके लिए आवश्यक है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना ली जाए। रूपरेखा में चार बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है ये ही निबंध के मुख्य अंग है–

1. प्रस्तावना या भूमिका
2. विशय–वस्तु
3. विशय विस्तार
4. उपसंहार या अंत

निबंध के प्रकार – विशय की बहुलता और विविधता के अनुसार निबंध कई प्रकार के हो सकते है जैसे– सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक आदि। लेकिन विशय–वस्तु को दृश्टि में रखकर देखा जाए तो एक निबंध में वर्णन की प्रधानता हो सकती है तो दूसरें में भावना या विचार की। किसी निबंध में कल्पना की उड़ान होती है, तो अन्य किसी में पूर्णतः साहित्यिक रूझान दिखाई देती है।

इस प्रकार विशय–वस्तु की दृश्टि से निबंध के निम्नलिखित प्रकार हो सकते है–

1. **वर्णनात्मक निबंध** – किसी वस्तु, घटना, दृश्य, पर्व आदि से संबंधित निबंध वर्णनात्मक निबंध कहे जाते है।
2. **विचारात्मक निबंध** – विचारात्मक निबन्ध में चिंतन की प्रधानता होती है। ऐसे निबंधों में किसी स्थिति या समस्या का सूक्ष्म विश्लेशण किया जाता है।
3. **विवरणात्मक निबंध** – इस प्रकार के निबंध में बीती हुई घटनाओं युद्ध, जीवनियों, पौराणिक वृत्तांतों, चलित खेल स्पर्धाओं आदि प्रमुखता के साथ उल्लेखित किए जाते हैं। ऐसे निबंधों में क्रमबद्धता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है।
4. **भावात्मक निबंध** – भावात्मक निबंध में चितंन की अपेक्षा भावना की प्रधानता होती है।

renaissance

5. **साहित्यिक निबंध** – किसी साहित्यिक प्रवृत्ति, साहित्यिक विधा या किसी साहित्यिकार पर लिखे गए साहित्यिक निबंध कहलाते है। ऐसे निबन्धों के लेखन के लिए विशय का गंभीर और विस्तुत अध्ययन अपेक्षित होता है।

निबंध लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें –

1. किसी विशय पर निबंध लिखने के पूर्व उस विशय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिए।
2. एक समान विचारों को एक ही क्रम में रखा जाय।
3. विशय के अनुसार रूपरेखा बनाकर निर्धारित बिन्दुओं का विस्तार करें।
4. प्रत्येक बिन्दु के लिए एक अनुच्छेद का विस्तार करें।
5. भाशा सरल, सुबोध, व्याकरण सम्मत हो।
6. भाशा विशय के अनुरूप तथा बोली प्रभावपूर्वक एवं रोचक हो।
7. निबंध की बोली को रोचक बनाने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियों, अलंकारों का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए।
8. विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए।
9. कुछ भी लिखने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए।
10. विशय से भटकना नहीं चाहिए।
11. निबंध लेखन में बुद्धि, कल्पना, भावात्मकता का उचित समन्वय होना चाहिए।

मुहावरों की विशेषताएँ –

1. मुहावरों के प्रयोग से भाशा में सजीवता आ जाती है।
2. मुहावीरों के प्रयोग से भाशा रोचक बन जाती है।
3. इसमें गठे हुए रूढ़ वाक्यांश होते है।
4. इसमें लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है।
5. मुहावरे की रचना सहज नहीं होती है उन्हें बनाया जाता है। मुहावरे गद्य रूप में होते है।
6. मुहावरे क्रियार्थक होते है।
7. मुहावरों का आधार उसका अर्थ होता है।
8. मुहावरे विकारी होते है। यह लिंग वचन कारक के अनुसारी बदल जाते है।
9. मुहावरे मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं।

लोकोक्तियों की विशेषताएँ –

ये जनता में प्रचलित ऐसा कथन हैं जो भाशा में प्रयोग होकर चमत्कृत कर देता है। इस उक्ति में किसी महात्मा, महापुरूश, कवि, लेखक, दार्शनिक के नीति वचन आते है।

1. यह स्वतंत्र वाक्य होते है।
2. यह कथन की पूर्ति करती है।
3. यह जनता में प्रचलित होती है।
4. इसके अर्थ में कटु सत्य छिपा होता है।
5. भाशा को अलंकृत करने में इसका प्रयोग किया जाता है।

6.इसमें अर्थ की गंभीरता होती है।
7.इसका प्रयोग ि ाक्षा देने के लिए किया जाता है।

पत्र लेखन

हमारे दैनिक व्यवहार में पत्रों का बड़ा महत्व है। पत्र दो व्यक्तियों के मध्य गहरा सम्पर्क सूत्र है। पत्र के द्वारा दो व्यक्तियों में कम समय में संबंध बनता है एवं संबंधों में प्रगाढता एवं आत्मीयता आती है। अंग्रेजी विद्वान जेम्स होवेल के कथानुसार कुंजियाँ बॉक्स खोलती है, किन्तु पत्र हृदय के विभिन्न पटल खेलते है। मनुष्य के प्रकृत एवं निच्छल भावों एवं विचारों का आदान–प्रदान पत्रों के द्वारा ही सम्भव है। व्यावहारिक जीवन में पत्र–व्यवहार ही एक ऐसा सेतु है, जो मानवीय संबंधो को जोड़ता एवं सुदृढ़ बनाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः उसे दूसरों से सम्पर्क बनाए रखने के लिए पत्र लेखन की सदैव बड़ी आवश्यकता पडती है।

पत्र लेखन के प्रकार

दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के पत्र लिखने होते है। इनमें से कुछ निजी, कुछ व्यवहारिक एवं कुछ व्यावसायिक पत्र होते है। शैली की दृष्टि से कुछ पत्र निवेदनात्मक होते हैं, तो कुछ आदेशात्मक कुछ पत्र सूचनात्मक होते हैं, तो कुछ विवरणात्मक। उक्त सभी प्रकार के पत्रों को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जाता है–

1. शासकीय पत्र
2. अद्धशासकीय पत्र
3. व्यावसायिक पत्र
4. आवेदन पत्र
5. निजी या व्यक्तिगत पत्र

1. **निजी पत्र–** इन पत्रों में माध्यम से मनुष्य अर्द्ध मिलन कर लेता है। सगे संबंधियों मित्रों के सुख–दुख का हाल–चाल, आना–जाना, स्वास्थ यात्रा आदि से संबंधित बातें निजी स्तर पर होती हैं। इन्हें व्यक्तिगत या पारिवारिक–पत्र भी कहते है।
2. **सामाजिक–पत्र–** ये पत्र जन्मदिन, बधाईपत्र, विवाह निमंत्रण, दावत, प्रीति–भोज, सम्मेलन वार्ता आमंत्रण या किसी समारोह के निमंत्रण हेतु लिखे जाते हैं। ये औपचारिक शैली में लिखे जाते है।
3. **प्रार्थना पत्र–** नौकरी या अन्य किसी कार्य के लिए प्रार्थना के रूप में संबंधित अधिकारी को लिखा गया पत्र इस श्रेणी में आता हैं। औचारिक शब्दावली का प्रयोग आवश्यक होता है। इसके आवेदन–पत्र भी कहते है।
4. **व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र–** किसी व्यापारी को लिखा गया व्यापार के संबंध में पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाता है। यह पत्र सामान मंगवाने, भेजने क्रय विक्रय करने या अन्य किसी कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें वैयक्तिकता होती है।
5. **सम्पादक के नाम पत्र–** किसी भी समाचार पत्र पत्रिका के माध्यम में लिखा गया पत्र जिसमें सार्वजनिक समस्या, प्रशंसा, आलोचन, शिकायत तथा चिंता प्रकट की जाए, ऐसे पत्रों के लिये पत्र–पत्रिकाओं में स्थायी स्तंभ रहते हैं।

6. **शासकीय पत्र–** जो पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में शासकीय कार्यो हेतु प्रयोग में लाये जाते है उन्हें सरकारी पत्र कहते है। ये कार्यालय एवं जनसाधारण के बीच संबंध स्थापित करने हेतु लिखे जाते है। सरकारी या शासकीय पत्रों में, आदेश, अधिसूचना, सूचना, परिपत्र, पृष्ठाांकन आदि पत्रों का प्रयोग होता है।
7. **अर्द्धशासकीय पत्र–** यह पत्र औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूपों में लिखे जाते है। अर्द्धशासकीय पत्र अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से संबोधन करके लिखा जाता है। यह पत्र गोपनीय लिखे जाते हैं। किसी कार्यालय में एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को अर्द्धसरकारी पत्र लिखा जाता है।
   यह पत्र किसी कार्यालय या संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजन में आमंत्रण हेतु लिखा जाता है। वह पत्र दो अधिकारियों बीच सम्मति अथवा जानकारी की सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है।

पत्र–लेखन के महत्वपूर्ण अंग निम्नलिखित हैं

1. **प्रेषक का पता तिथि–** पत्र लिखने के लिए जिस कागज का प्रयोग किया जाये उसके दाहिनी ओर स्पष्ट अक्षरों में प्रेषक (भेजने वाला) का पता एवं तारीख का उललेख किया जाना चाहिए।
2. **मूल संबोधन–** पत्र में संबोधन एवं अभिवादन दोनों ही महत्वपूर्ण होते है इससे पत्र लेखक को सावधानी, कुशलता एवं सहृय का परिचय देना चाहिए।
   उदाहरण– पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, श्रद्धेय गुरूजी, श्रद्धेय भाई साहब, चिरंजीव, प्रिय, माननीय, सम्मानीय, प्रियवर।
3. **अभिवादन या शिष्टाचार–** संबोधन के नीचे वाली पंक्ति को छोड़कर अगली पंक्ति से शिष्टाचार युक्त संबोधन प्रयोग किया जाता है।
   उदाहरण– प्रमाण, नमस्ते, शुभाशीष, प्रसन्न रहो, खुश रहो।
4. **गौण संबोधन–** इसका प्रयोग पदा या समूह का नाम ज्ञात न होने की स्थिति में किया जाता है।
   उदाहरण– सेवा में, मान्यावर।
5. **विषय वस्तु –** विषय वस्तु को सभी अंगों के पश्चात् अनुच्छेद से प्रारंभ किया जाता है। इन्हें पंक्तियों में बड़े ही व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है।
6. **पत्र समाप्ति–** विषय–वस्तु को प्रस्तुत करने के पश्चात् मंगल कामना सूचक या धन्यवाद सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र के अंत में पत्र के बायी ओर लिखने वाले का पूरा का नाम, पता तथा उसके हस्ताक्षर होने चाहिए।?

स्मरणीय है कि पत्र समाप्ति के पश्चात् यदि कोई बात पश्चात् में स्मृति में आये तो उसे पत्र के बायी ओर पुनः लिखकर जा सकता है।

अच्छे पत्र की विशेषताएँ

पत्र लेखन एक कला है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविक व स्वष्टता होगी वह पत्र उतना ही प्रभावशाली होगा। पत्र–लेखन चरित्र, व्यक्तित्व, मानसिकता आदि का परिचायक होता है। अतः पत्र–लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है।

renaissance

अच्छे पत्र–लेखन की निम्नलिखित विशेषताएँ होती है–

1. **सरल भाषा–शैली–** पत्र की भाषा सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। पत्र की शब्दावली उपयुक्त, सरल सौम्य एवं मधुर होनी चाहिए। वाक्य छोटे–छोटे और सारगर्भित हो।
2. **विचारों की स्पष्टता –** पत्र में निहित विचार सुलझे और स्पष्ट हो। गोल.गोल बातें या घुमा–फिराकर बातें नहीं लिखी जानी चाहिए।
3. **सहजता–** पत्र में सहजता एवं स्वाभिकता हो। पण्डित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं हो।
4. **संक्षिप्तता और पूर्णता–** ये भी अच्छे पत्र के गुण है। पत्र अधिक लम्बा न हो, पर वह अपने में पूर्ण हो। बात अधूरी न हो जाए। मुख्य बातें आरम्भ में लिखी जायें और क्रमानुसार लिखी जाऐं आवश्यकतानुसार अनुच्छेदों का प्रयोग हो। पत्र लेखन का सारा आशय पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए।
5. **प्रभवाशाली भाषा–** पत्र पढ़ने वाले पर पत्र का प्रभाव अच्छी तरह पडना चाहिए। आरम्भ और अन्त में नम्रता सौहार्द के भाव व्यक्त होने चाहिए।
6. **साज–सज्जा–** पत्र की लिखावट साफ स्वच्छ, सुन्दर और स्पष्ट हो। हाशिया विराम–चिन्हों आदि का प्रयोग यथास्थान किया गया हो। पता, तिथि, अभिवादन, अभिनिवेदन आदि का यथास्थान उल्लेख किया जाना चाहिए।

अर्द्ध सरकारी पत्र का एक नमूना–
श्री सरबजीत सिंह भारज
निदेशक,
रेनेसां कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड मैनेजमेंट,
इन्दौर

मुझे लिखते हुए हर्ष होता है। कि आगामी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने युवाओं में नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के सद्देश्य से एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। इसके अंतर्गत युवा संस्कार सप्ताह दिनांक 02.01.18 से 08.03.18 तक आयोजित किया जा रहा है।

प्रत्येक शिक्षण संस्था में इस अवधि में उक्त विषय संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। आपकी सहायता हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यथाशक्ति, योगदान देकर प्रगति की समीक्षा भेजने की कृपा करेंगे।

भवदीय
डॉ. माया इंगले
संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण विभाग
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर

renaissance renaissance

सार लेखन (संक्षिप्त लेखन)

सार–लेखन ;त्मबपेद्ध :– सार लेखन का आशय है किसी भी विषय वस्तु को संक्षेप में कहने की कला। सार लेखन एक कला है, जो व्यक्ति को निरन्तर प्रयास के बाद प्राप्त होती है। अर्थात् किसी लिखित सामग्री को मूल के लगभग एक–तिहाई भाग में संक्षिप्त में, सहज भाषा और व्यव्यस्थित रूप में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण या सार लेखन है।

सार लेखन की विशेषताएँ एवं प्रक्रिया–

1. स्वतः पूर्णता
2. संक्षिप्तता
3. भावों में सुसम्बद्धता
4. सहज स्पष्ट भाषा शैली
5. भावों की क्रमबद्धता
6. छोटे व सटीक वाक्य
7. पहले से सुपठित
8. अनावश्यक व असंगत बातें का त्याग
9. प्रत्यक्ष कथन व संवादों को स्वविवेक व आवश्यकतानुसार लिखना
10. अन्य पुरूष का प्रयोग
11. स्वयं की टीका टिप्पणी व आलोचना नहीं
12. स्वयं के भाव व विचारों को नहीं जोड़ना
13. मूल अनुवाद का लगभग एक तिहाई होना
14. निर्धारित शब्द सीमा का पालन
15. विषय समझने हेतु शीर्षक देना
16. संक्षिप्त, सटीक, व सारगर्भित हो
17. महत्वपूर्ण बिन्दु क्रमबद्ध हो ।
18. अवतरण में आए उदाहरण, उद्वरण अथवा निशेषण नही होते
19. भाषा अलंकृत, बनावटी अथवा द्विअर्थी न हो ।
20. यथासंभव सामासिक पदों व छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए ।